::आदेश ::

सेवा में,

समस्त औद्योगिक इकाईया,
जनपद–ऊधमसिंहनगर।

विषय : उद्योगो में कार्यरत कार्मिको के अधिक से अधिक रैपिड एन्टीजेन टैस्ट/आर0टी0पी0सी0आर0 राजकीय लैब अथवा प्राईवेट लैंब से कराये जाने विषयक।

जैसा कि आप अवगत ही है कि सम्पूर्ण भारत में कोरोना वायरस के कारण बिगडते हालात की वजह से हालत भयावह हो रही है, जिसको नियंत्रण करने एवं कोरोना संक्रमण की चैन को रोके जाने के प्रयास हेतु भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे है।

उपरोक्त क्रम में आपसे अनुरोध है कि अपने–अपने संस्थानो में कार्यरत कर्मचारियो/श्रमिको के अधिक से अधिक रैपिड एन्टीजेन टैस्ट/आर0टी0पी0सी0आर0 राजकीय लैब अथवा प्राईवेट लैंब से एक सप्ताह के भीतर कराना सुनिश्चित करें एवं उक्त की रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रबंधक, सिडकुल पंतनगर/मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। अन्यथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं आई0पी0सी0 की धारा 188 के तहत् नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपकी इकाई का होगा।

(परितोष वर्मा)
नोडल अधिकारी/क्षेत्रीय प्रबंधक
ऊधमसिंहनगर।

कार्यालय–नोडल अधिकारी/क्षेत्रीय प्रबंधक, ऊधमसिंहनगर।

पत्रॉक: सैम्पो **कोविड–19/2021** **दिनॉक: 24 अप्रेल, 2021**

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर– को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष, कुमॉऊ गढवाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, काशीपुर–को इस आशय के साथ प्रेषित कि जनपद के समस्त औद्योगिक इकाईयो इस सम्बन्ध में आवश्यक जागरुक कर अधिक से अधिक रैपिड एन्टीजेन टैस्ट/आर0टी0पी0सी0आर0 करवाने हेतु निर्देशित करें।
3. अध्यक्ष, सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर सोसायटी, सिडकुल, पन्तनगर/सितारगंज– को अपने–अपने स्तर से समस्त औद्योगिक इकाईयो इस सम्बन्ध में आवश्यक जागरुक कर अधिक से अधिक रैपिड एन्टीजेन टैस्ट/आर0टी0पी0सी0आर0 करवाने का कष्ट करे।

(परितोष वर्मा)
नोडल अधिकारी/क्षेत्रीय प्रबंधक
ऊधमसिंहनगर।